विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES

छठी विधान सभा का तीसरा प्रतिवेदन
THIRD REPORT OF THE SIXTH ASSEMBLY

30 मार्च, 2016 को प्रस्तुत

PRESENTED ON 30 MARCH, 2016

COMMITTEE OF PRIVILEGES

(2015-2016)

Shri Somnath Bharti **Chairperson**

MEMBERS

2. Shri Anil Bajpai
3. Shri Mahinder Goyal
4. Smt. Parmila Tokas
5. Shri Akhilesh PatiTripathi
6. Shri Raguvinder Shokeen
7. Shri Raju Dhingan
8. Shri Rajendra Pal Gautam
9. Shri Girish Soni

Secretariat

1.	Shri Prasanna Kumar Suryadevara	-	Secretary
2.	Shri Rajender Prashad	-	Dy. Secretary

REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

Introduction

I, The Chairman of the Privilege Committee having been authorized by the Committee to submit the report on their behalf in the matter of late submission of replies to questions listed in the House for Nov. 24, 2015 present the report to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha.

The Committee wishes to place on record its appreciation of the valuable assistance rendered by the officers and staff of the Assembly Secretariat during its meetings as also in the preparation of the report.

(SOMNATH BHARTI)
CHAIRMAN
COMMITTEE ON PRIVILEGES

Delhi.
March 29, 2016

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NCT OF DELHI
COMMITTEE OF PRIVILEGES

In the matter of late submission of replies to questions listed in the House for Nov. 24, 2015

REPORT

On Nov. 24, 2015 as soon as the House started its sitting at 2 PM Honorable Speaker expressed concern that most of the replies to the questions listed for the day pertaining to the Minister of Social Welfare and Delhi Jal Board had not been received. The House agreed to the Chair's statement that the officers responsible for the inordinate delay in supply of replies to the questions should be brought before the House Committee and the matter was referred to the Committee on Privileges.

Delhi Jal Board, Department of Tourism, Department of Social Welfare, Department for SC/ST/OBC/Minorities and the Department of Women and child Development were the defaulting Departments. The worst defaulters were Delhi Jal Board and Department of Social Welfare, replies from whom were received as late as 04:05 PM and 01:05 PM respectively on the day questions were supposed to be replied in the House. The order issued from the Assembly Secretariat clearly stipulates that replies must be received in the Question branch by 3 PM one day before the questions are listed. The default by these two departments i.e. DJB and Social Welfare was limited not only to the inordinate delay in submitting replies but it involved a large number of questions also. Delhi Jal Board delayed replies of seventeen questions whereas Social Welfare delayed nine replies. That is why the

Honorable Speaker named these two departments Viz. Delhi Jal Board and Social Welfare in the House itself.

The Committee on Privileges took cognizance of the matter in its meeting held on Feb. 05, 2016. The Committee took a serious view of this non-serious attitude of the defaulting departments and directed that their heads be summoned before the committee on 19/02/2016.

CEO Delhi Jal Board and Principal Secy. (Tourism) Sh. Keshav Chandra, Principal Secy. for the Department of SC/ST/OBC/Minorities Sh. Narender Kumar, Director of Women and Child Development Sh. Sanjay Saxena and Director of Social Welfare Ms. Dilraj Kaur were present before the Committee. One by one they all explained before the Committee the sequence of events leading to delay in submitting replies to questions listed for that day. They also offered their unconditional apology for the delay and assured the Committee that they would ensure that such a thing never happened again. The Committee directed them to furnish their written comments within 10 days in the matter and also fix responsibility for this grave lapse.

The Committee in its meeting on 18/03/2016 considered the written explanations furnished by different Heads of the Departments and sought clarifications from them. Except CEO DJB who had, after an inquiry into the matter, pinned blame on Member (Administration) for this lapse none of the HODs had pointed out any single officer/official who alone could be held responsible for this. Most of them had pointed out in their written submissions that late approval of the Minister concerned led to such a situation.

After carefully considering the written submissions and oral deposition of HODs the Privilege Committee is of the considered view that the explanations

furnished by HODs are devoid of substance and are therefore liable to be rejected. The committee strongly feels that officers should have been more careful and particular in this regard and hence more prompt in attending to legislative work pertaining to their department. It also feels that acts of commission and omission on the part of HODs do merit stern and deterrent punishment but keeping in view their repeated offers of unconditioned apology and assurances not to repeat such conduct the Committee recommends that the defaulting officers should be pardoned with a warning not to allow repetition of any such lapse in future and the matter may be allowed to rest.

(SOMNATH BHARTI)

CHAIRMAN

COMMITTEE OF PRIVILEGES

DELHI

MARCH 29, 2016

विधान सभा, दिल्ली

Legislative Assembly, Delhi

तीसरा प्रतिवेदन

30 मार्च, 2016 को प्रस्तुत

विशेषाधिकार समिति

छठी विधान सभा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

विशेषाधिकार समिति

(2015–2016)

श्री सोमनाथ भारती
अध्यक्ष

सदस्य

2. श्री अनिल बाजपेयी
3. श्री महिन्दर गोयल
4. श्रीमती परमिला टोकस
5. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
6. श्री रघुविंदर शौकीन
7. श्री राजू धिंगान
8. श्री राजेंद्र पाल गौतम
9. श्री गिरीश सोनी

सचिवालय

1. श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा – सचिव
2. श्री राजेन्दर प्रसाद – उप सचिव

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

परिचय

मैं, विशेषाधिकार समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए अधिकृत किए जाने पर, नवंबर 24, 2015 के लिए सदन में सूचीबद्ध प्रश्न के उत्तर विलंब से प्रस्तुत करने के मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय को यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समिति विधानसभा सचिवालय स्टाफ द्वारा अपनी बैठकों के दौरान एवं प्रतिवेदन तैयार करने में प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनके प्रति अपनी प्रशंसा को रिकॉर्ड पर लाना चाहती है।

ह0 /-
(सोमनाथ भारती)
सभापति
विशेषाधिकार समिति

दिल्ली
मार्च 29, 2016

दिल्ली विधानसभा
रा.रा.क्षे. दिल्ली
विशेषाधिकार समिति

24 नवंबर, 2015 के लिए सदन में सूचीबद्ध प्रश्नों का उत्तर विलंब से प्रस्तुत किए जाने के मामले में

प्रतिवेदन

24 नवंबर, 2015 को जैसे ही सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे प्रारंभ हुई, माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर चिंता प्रकट की कि समाज कल्याण एवं दिल्ली जलबोर्ड मंत्री से संबंधित दिन के लिए सूचीबद्ध अधिकतर प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। अध्यक्ष के इस वक्तव्य से सदन सहमत था कि प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराने में हुए इस असामान्य विलंब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को सदन की समिति के समक्ष लाया जाए और यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया।

दोषी विभाग थे, दिल्ली जल बोर्ड, पर्यटन विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग। सर्वाधिक दोषी थे दिल्ली जल बोर्ड तथा समाज कल्याण विभाग जिनके उत्तर उसी दिन क्रमशः अपराह्न 4.05 बजे व 01.05 बजे प्राप्त हुए जिस दिन उनका उत्तर सदन में दिया जाना था। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्टरूप से निर्दिष्ट किया गया है कि जिस दिन के लिए उत्तर सूचीबद्ध हैं उससे एक दिन पहले अपराह्न 3.00 बजे तक वे प्रश्न शाखा में प्राप्त हो जाने चाहिए। इन दो विभागों अर्थात दिल्ली जल बोर्ड एवं समाज कल्याण विभाग का दोष केवल असामान्य विलंब से उत्तर प्रस्तुत करने तक ही सीमित नहीं था बल्कि इनसे संबद्ध

प्रश्नों की संख्या भी बहुत अधिक थी। दिल्ली जल बोर्ड ने सत्रह प्रश्नों का उत्तर विलंब से दिया जबकि समाज कल्याण ने नौ प्रश्नों का उत्तर विलंब से दिया। यही कारण था कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने इन दोनों विभागों अर्थात दिल्ली जल बोर्ड तथा समाज कल्याण को सदन में नामित किया।

विशेषाधिकार समिति ने 5 फरवरी, 2016 को हुई अपनी बैठक में इस विषय का संज्ञान लिया। समिति ने दोषी विभागों के इस गैर–ज़िम्मेदार रवैए को गंभीरता से लिया और निदेश दिया कि उनके अध्यक्षों को समिति के समक्ष 19/02/2016 को बुलाया जाए।

दिल्ली जल बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी व प्रधान सचिव (पर्यटन) श्री केशव चंद्रा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग के प्रधान सचिव श्री नरेन्द्र कुमार, महिला एवं बाल विकास के निदेशक श्री संजय सक्सेना तथा समाज कल्याण के निदेशक सुश्री दिलराज कौर समिति के समक्ष उपस्थित हुए। एक एक करके सबने समिति के समक्ष उस घटनाक्रम को स्पष्ट किया जिसके कारण उस दिन के लिए सूचीबद्ध प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था। उन्होंने विलंब के लिए बिनाशर्त क्षमा भी मांगी और समिति को आश्वस्त किया कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसा कभी न हो। समिति ने उन्हें निदेश दिया कि वे अपनी लिखित टिप्पणी 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करें और इस भारी चूक के लिए ज़िम्मेदारी भी निर्धारित करें।

समिति ने 18/03/2016 को हुई अपनी बैठक में विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित स्पष्टीकरणों पर विचार किया और उनसे सफाई भी मांगी। दिल्ली जल बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी को छोड़कर, जिन्होंने इस विषय पर जांच के बाद सदस्य (प्रशासन) को इस दोष के लिए उत्तदायी बताया था, किसी भी विभागाध्यक्ष ने किसी भी एक

अधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित नहीं किया, जिसे इसके लिए उत्तरदायी माना जाए। उनमें से अधिकांश ने अपने लिखित उत्तर में संकेत किया कि संबद्ध मंत्री द्वारा विलंब से स्वीकृति दिए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई।

विभागाध्यक्षों के लिखित उत्तरों एवं उनके मौखिक बयानों पर सावधानी से विचार करने के बाद विशेषाधिकार समिति का यह सुविचारित मत है कि विभागाध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण सारहीन हैं और खारिज करने योग्य हैं। समिति दृढ़तापूर्वक यह अनुभव करती है कि अधिकारियों को इस संबंध में अधिक सावधान और सतर्क तथा अपने विभाग से संबंधित विधायी कार्य देखने में अधिक तत्पर होना चाहिए था। समिति यह भी अनुभव करती है कि विभागाध्यक्षों की ओर से आचरणक्रिया एवं चूक के ये कार्य कड़े एवं निवारक सजा के योग्य हैं किंतु उनके बार–बार बिनाशर्त क्षमायाचना एवं ऐसा पुनः न होने देने के आश्वासन को देखते हुए समिति संस्तुति करती है कि दोषी अधिकारियों को भविष्य में ऐसी चूक पुनः न करने की चेतावनी देते हुए क्षमा कर दिया जाए और इस मामले को समाप्त किया जाए।

ह0 /-
(सोमनाथ भारती)
सभापति
विशेषाधिकार समिति

दिल्ली
मार्च 29, 2016